

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 80 / 2016

तारीख रजु 29.06.2016

उनवान

जलदेई पत्नि दौलतसिंह जाति जाट निवासी महु-इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौनसिटी
जिला करौली

—————वादी

बनाम

रणवीर पुत्र करतार जाति जाट वगैरह निवासी महु इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौनसिटी
जिला करौली

—————प्रतिवादी(06)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- हरिबाबू शर्मा एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से :- एस.एल.चौधरी

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 56, 67, के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 80 / 2016 जलदेई बनाम रणवीर सिंह अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

